LOK SABHA

*Wednesday, April 12, 1978/Chaitra 22, 1900 (Saka)*

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमो मे संशोधन**

*66. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आपात काल के दौरान सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमो मे किसी ऐसे संशोधन का प्रस्ताव किया था कि डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता तथा वरिष्ठता के सिद्धान्त को खत्म करके केवल योग्यता/सक्षमता का सिद्धान्त अपनाया जायगा ,

(ख) क्या यह सिद्धान्त सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था और जून, 1977 मे प्रकाशित किया गया था ,

(ग) क्या पदोन्नति के लिए योग्यता का सिद्धान्त अथवा योग्यता तथा वरिष्ठता का सिद्धान्त किसी राज्य की सेवाओ मे अपनाया जाता है , और

(घ) क्या योग्यता के सिद्धान्त के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जहां एक ही जिले मे वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारियो के अधीन कार्य करेंगे



और क्या इससे अधिकारियो अथवा प्रशासन की कार्य-कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S D PATIL) (a) and (b) Although action was initiated in 1974 to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations 1955, formal proposals were formulated on the recommendations of the Chief Secretaries Conference held in May, 1976 The State Govts and U P S C were accordingly consulted and the regulations were amended in June 1977 by the present Government

(c) Information is not available with the Govt of India

(d) Such a stuation is possible It could also have arisen under the regulations as they stood before the amendments made in June, 1977 As selections are made on the basis of merit Government do not think that this will adversely affect the efficiency of officers or the administration

**श्री सुखेन्द्र सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि आपात काल के दौरान कांग्रेस सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियम 1955 मे यह संशोधन प्रस्तावित किया कि उप-जिला अधीक्षक को जिला अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता तथा वरिष्ठता के सिद्धात का उन्मूलन कर सिर्फ योग्यता का सिद्धात माना जाय, यह इसलिए प्रस्तावित किया गया था कि मनमानी तौर पर योग्यता के नाम पर वरिष्ठ अधिकारियों को नजर-अन्दाज किया जा सके और अपने

चहेते कनिष्ठ अधिकारियों को इस सिद्धांत का लाभ दिया जाये। मुझे बड़ा दुख है कि इसी बात को हमारी सरकार ने जून 1977 में स्वीकार किया। इसका परिणाम यह हुआ है, मुझे दूसरे प्रान्तों की तो जानकारी नहीं है लेकिन मध्य प्रदेश का उदाहरण मैं देता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसे सीनियर लोग जिनका थ्रू-आउट रिकार्ड बहुत अच्छा था, जिन के खिलाफ कोई चीज नहीं थी उन को नजर अन्दाज कर के ऐसे कई भ्रष्ट लोगों को जिन के खिलाफ बहुत सी चीजें थी, कलेक्टर के पद पर पदोन्नति दे दी गई। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, मंत्री जी ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश मे जो घपला हुआ है वह अन्य प्रान्तों मे भी हुआ होगा, तो क्या वे उस की जाच कराएंगे ?

SHRI S D PATIL: No specific question has been put. However, Government has received a number of representations and the matter is under consideration of the Government.

श्री सुखेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि जब इन नियमो के तहत योग्यता के आधार पर मनमाने तरीके मे यह सब किया जा रहा है तो क्या इन नियमो पर पुन विचार करके दोबारा संशोधन नही किया जा सकता है ? इसमें लोग मनमानी करते हैं, जो सीनियर और योग्य हैं, जिनका रिकार्ड अच्छा है उन्हे किनारे फेंक करके, जो उनके अपने चमचे हैं जिनका रिकार्ड भी अच्छा नहीं है उन्ही को मौका दिया जाता है। ऐसी स्थिति मे क्या आप इन नियमों मे संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं ?

SHRI S. D PATIL: I have already replied, the matter is under consideration

श्री रघुवीर सिंह मछण्ड: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं क्या यह सच है कि जिन लोगों की पदोन्नति आपात काल के समय की गई थी वे आज भी उसी पार्टी का काम कर रहे हैं ?

SHRI S. D. PATIL: The Government has no information. If the hon. member brings out any specific case, I will look into the matter.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या यह सत्य है कि योग्यता और क्षमता के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी कार्यालयों मे जाति और जन्म के आधार पर भी प्रमोशन्स हो रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

MR. SPEAKER: That does not arise.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : यह प्रमोशन का सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

MR. SPEAKER: The question is about the rules—should it be solely on the basis of merit or merit-cum-seniority?

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैंने तथ्य जानने की कोशिश की है और मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

MR. SPEAKER: It is not between you and the 'mantri'. I also come into the picture.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, योग्यता और क्षमता के आधार के अतिरिक्त जाति और जन्म के आधार पर प्रमोशन दिये जा रहे हैं।

MR SPEAKER: It does not arise.

SHRI JAGANNATH RAO: At present the Central Government recruits IAS Officers and allots them to the State Government. Now the Regional Language has been introduced as a medium for examination. Is there any thinking to reverse the process? The State Government should recruit the officers according to the standards fixed by the Central Government and .

MR. SPEAKER: That again does not arise.